न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–199/2016

–:: अनवान ::–

1.रामकुमार पुत्र जोतराम जाति जाट सा.जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
2.मदनलाल पुत्र जोतराम जाति जाट सा.जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
3.श्रवणकुमार पुत्र जोतराम जाति जाट सा.जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

1.अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सूरतगढ़
2.तहसीलदार सूरतगढ़
3.पप्पुराम उर्फ रूपराम पुत्र जोतराम जाति जाट सा.जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
4.पाला उर्फ शीशपाल पुत्र जोतराम जाति जाट सा.जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
5.कृष्ण पुत्र जोतराम जाति जाट सा.जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.अप्रार्थी सं. 1 एकतरफा कार्यवाही (17.12.2018)
3.पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़
4.श्री संजय सैन अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 ता 5

–:: निर्णय ::– दिनांकः–30.12.2019

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनाा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 के नाम चक 1 एसआरपीएम खाता सं0 42/69 प0नं0 188/42(31) किला नं0 5,6,15 ता 18/1.518 हैक्टर व प0नं0 188/50(32) कि0नं0 1 ता 3, 8 ता 11, 20 की 2.024 है0 व प0नं0 188/59(34) के कि0नं0 2 ता 9, 12 ता 25 की 5.374 है0 कुल 8.916 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त रकबा में चक 1 एसआरपीएम के प0नं0 188/59 कि0नं0 21 ता 25 में पूर्व से पश्चिम खेतों का रास्ता मंजूरशुदा है जो मौका पर चालू है। जिस पर खेतों के रास्ते पर अप्रार्थी सं0 1 पक्की सड़क का निर्माण कर रहा है प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के खातेदारी रकबा के प0न0 188/59 के कि0नं0 5,6,15,16 व 25 में कोई रास्ता मंजूरशुदा नही है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 3 ता 5 की इच्छा के विरूद्ध प0नं0 188/59 कि0न0 21 ता 25 के मंजूरशुदा रास्ता को जोड़ते हुए इसी प0नं0 के कि0नं0 5,6,15,16,25 में जबरदस्ती दक्षिण से उत्तर की ओर बिना मंजूरशुदा रास्ता पर पक्की सड़क का निर्माण करने की फिराक में है मौका पर उक्त रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी 3 ता 5 का खातेदारी रकबा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण व अप्रार्थी 3 ता 5 के खातेदारी रकबा में पक्की सड़क बनाने पर आमदा हो रहें है। खातेदार कृषक के विरूद्ध उसके खातेदारी रकबा में अतिक्रमण नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने के लिए जबरदस्ती दखलदांजी कर रहें है। यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने

मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण व अप्रार्थी 3 ता 5 को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिये अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे जैरप्रकरण रकबा चक 1 एसआरपीएम खाता सं0 42/69 प0नं0 188/42(31) किला नं0 5,6,15 ता 18/1.518 हैक्टर व प0नं0 188/50(32) कि0नं0 1 ता 3, 8 ता 11, 20 की 2.024 है0 व प0नं0 188/59(34) के कि0नं0 2 ता 9, 12 ता 25 की 5.374 है0 कुल 8.916 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि में ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करावें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 17.10.2016 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा प्रश्नगत रकबा की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद तामिल उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 17.12.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

4. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया।

5. हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 3 ता 5 के नाम चक 1 एसआरपीएम खाता सं0 42/69 प0नं0 188/42(31) किला नं0 5,6,15 ता 18/1.518 हैक्टर व प0नं0 188/50(32) कि0नं0 1 ता 3, 8 ता 11, 20 की 2.024 है0 व प0नं0 188/59(34) के कि0नं0 2 ता 9, 12 ता 25 की 5.374 है0 कुल 8.916 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद तामिल हाजिर नही आयें है। एक खातेदार कृषक के खातेदारी भूमि पर बिना उसकी अनुमति कोई निर्माण नही किया जा सकता है। यदि अप्रार्थी सं. 1 यह कर रहें है तो यह गैर–कानूनी है। क्योंकि एक काश्तकार द्वारा भूमि की रकम जमा करने के बाद ही भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होतें है। इसलिये उनकी भूमि पर कोई भी बिना उनकी अनुमति निर्माण या दखलदांजी नही कर सकता है। इसलियें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी सं0 1 वाद पत्र के निर्णय तक प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 3 ता 5 के नाम चक 1 एसआरपीएम खाता सं0 42/69 प0नं0 188/42(31) किला नं0 5,6,15 ता 18/1.518 हैक्टर व प0नं0 188/50(32) कि0नं0 1 ता 3, 8 ता 11, 20 की 2.024 है0 व प0नं0 188/59(34) के कि0नं0 2 ता 9, 12 ता 25 की 5.374 है0 कुल 8.916 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि में ना तो स्वयं दंखलदांजी करें एवं ना ही किसी अन्य से करवायें व मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.01 12:54:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: